10/7/17

आवली दिनांक 18/7/17 कैम्पकोर्ट
स्थान 10/7/17 प्रस्तुत तदनुसार
सभी पक्षकारों को सूचित हो

10/7/17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्यायआपके द्वार 2017 के कैम्प बीजरड़ में पेश हुई। उक्त प्रकरण में तहसीलदार चौहटन को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो पत्रावली शामिल की गई। तहसीलदार चौहटन ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी नरपतसिंह द्वारा मौजा केलनोर की जमाबंदी संवत 2069-2072 खा. सं. 126 में दर्ज नखतसिंह s/o भूरसिंह के स्थान पर नरपत सिंह पुत्र भूरसिंह नाम शुद्धिकरण बाबत अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची इत्यादि साक्ष्य पेश किये गये। उक्त प्रकरण की गहनता से जांच की गई। नरपत सिंह के पिता भूरसिंह की वंशावली निम्न प्रकार है।

नरपत सिंह

L.T. नखतसिंह

भूरसिंह पुत्र भूपालसिंह की वंशावली

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नखतसिंह | नरपतसिंह | अमरसिंह | वरीसिंह | पदमसिंह | उगमसिंह | सांगसिंह |

खेत ख-न. 391 रकबा 41.04 बीघा मौजा केलनोर में नखतसिंह पुत्र भूरसिंह को आवंटन की गई जिसको खातेदारी अधिकार जरिये ना.क.सं. 393/30.1.83 को राजस्व अभियान के दौरान दिया गया। जो वर्तमान जमाबन्दी में नखतसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम इन्द्राज है जो नरपतसिंह पुत्र भूरसिंह का सगा भाई है।

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
| --- | --- |
| हाल उक्त सम्पूर्ण परिवार नवा तला औत० में निवास कर रहा है। आवेदी नरबतसिंह पुत्र भूरसिंह हाल नवा तला औत में निवास कर रहा है। उक्त प्रकरण शुद्धि योग्य नहीं है खारिज किया जावे। तहसीलदार चौहटन से पेश मौका रिपोर्ट का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ पेश समस्त दस्तावेजों की गहन जांच करने से स्पष्ट होता है कि नरपतसिंह पुत्र भूरसिंह तथा नरबतसिंह पुत्र भूरसिंह दो अलग-अलग व्यक्ति है। नरबतसिंह पुत्र भूरसिंह तथा नरपतसिंह पुत्र भूरसिंह दोनों सगे भाई है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों तथा गलत नीयत से पेश किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

उपखण्ड अधिकारी चौहटन